न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 129/23 निर्णय दिनांकः—22-02-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/201)

1. आसूराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी जोधासर हाल डेली तलाई तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 26—10—2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 26—10—2002 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में वर्ष 1988 में तादादी 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु तमाम सबूतों के साथ आवंटन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

था। अपीलांट द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत यथा भूमि काश्तकारी पेशा व शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा आवंटन मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपनिवेशन तहसील पूगल में बारानी भूमि में आवंटन हेतु राज्यादेश कमांक एफ–3(25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अदालत मातहत द्वारा बारानी भूमि आवंटन बन्द होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि अपीलांट् द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम दस्तावेज संलग्न किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के भूमिहीन प्रार्थना पत्र की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट् के प्रार्थना पत्र को बारानी भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र मानते हुए विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है।

अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर अदालत मातहत ने प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट के सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—2002 के विरूद्ध अपील दिनांक 01—05—23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन राज्यादेश के तहत बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 01—05—2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकरतफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों यथा अपीलांट् के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिये बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की मांग करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलांट् के उक्त आवेदन पत्र पर नियमानुसार संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त अपीलांट् का भूमिहीन श्रेणी के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कि उपनिवेशन तहसील पूगल में राज्यादेश कमांक एफ—3(25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13—03—1991 से इगानप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। जबकि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बारानी भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करते हुए बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की मांग की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अपीलांट् के प्रार्थना पत्र पर गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट् के भूमिहीन श्रेणी आवंटन प्रार्थना पत्र को बारानी भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र मानते हुए खारिज किया जाना स्पष्ट रूप से अपीलांट् के विधिक अधिकारों के हनन क श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश नहीं होने से अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के भूमिहीन श्रेणी प्रार्थना पत्र पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 22/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर